अध्याय IX

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीपीएसईज़ के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में खातों और रखे गये अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। अंत: यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समयबद्ध उत्तर प्राप्त हो।

लोक सभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल विभिन्न पैराग्राफों मूल्यांकनों पर सभी मंत्रियों को उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षा) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ऐसी-टिप्पणियां उन पैराग्राफों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी जिन्हें विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चयनित नहीं किया गया था। अपने दूसरे प्रतिवेदन (1998-99-बाहरवीं लोक सभा) में कोपू ने उपर्युक्त निर्देशों को दोहराते हुए सिफारिश की कि:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज़) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएनज़) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी केलिए प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी सेल की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत पीएसयूज़ की संख्या से संबंधित पैरों वाले प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएनज़ के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक निगरानी सेल की स्थापना; और
- संसद में प्रस्तुत किये गये सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुवर्ती कार्रवाई एटीएनज़ के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छ: महीनों के अंदर समिति को प्रस्तुतीकरण।

सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में आगामी तीन महीनों के अंदर सीएजी लेखापरीक्षा पैरों और पीएसी सिफारिशों पर लंबित एटीएज़/एटीआरज़ को स्पष्ट करने के विशेष प्रयास करनेका निर्णय लिया गया। इस निर्णय का (जुलाई 2010) की सूचना देते हुए, वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कोपू ने अपने पहले प्रतिवेदन (1999-2000- तेरहवीं लोक सभा) ने अपनी पहले वाली सिफारिशें पुनः दोहराई कि डीपीई को प्रत्येक उपक्रमपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में दिये गये अवलोकनों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए स्वयं डीपीई में एक अलग निगरानी सेल की स्थापना करनी चाहिए। डीपीई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभाग द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर अनुवर्ती कार्रवाई निगरानी के लिए एक अलग निगरानी सेल की स्थापना की गई है। डीपीई ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने विभागों को अपने विभागों में सीपीएसई पर अधिकार क्षेत्र रखते हुए निगरानी सेल की स्थापना करने के लिए लंबित एटीएन की समीक्षा करने के लिए अनुरोध तीन निगरानी बैठकों का आयोजन भी किया।

लेखापरीक्षा में एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों से 41 एटीएनज़ प्रतीक्षित हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट-III** में दर्शाया गया है।

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष,
लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई 2015